

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर
 क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/ए-67/2018/
 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
 भीलवाडा।

दिनांक:-

विषय:-श्रीमती अर्जुमन ईरफाना शेख, नर्स-2 अवकाश स्वीकृत करने बाबत।
 सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 3737 दिनांक 20.04.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित के पत्र के क्रम में श्रीमती अर्जुमन ईरफाना शेख, नर्स-2 (परिविक्षाधीन) का अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण में लेख है कि कार्मिका ने पूर्व अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है अथवा नहीं? की सूचना भिजवाने के पश्चात ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 23/10/2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/ए-67/2018/1488
 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
 2- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राजस्थान जयपुर